

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244582
SG-DL-E-22032023-244582असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2023/ फाल्गुन 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 570
No. 97]	DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/ PHALGUNA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 570

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

संख्या 13/2022-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(38)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/231.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 02/2017-राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VII/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

(i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"जलीय फ्रीड समेत झींगा फ्रीड और झींगा फ्रीड, पोल्ट्री फ्रीड और पशु फ्रीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डी-ऑइल केक [चावल की भूसी से भिन्न]";

(ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302, 2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2017-राज्य (दर), को सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022-राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(29)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/896, दिनांक 17 नवंबर, 2022 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IVमें प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2023

No. 13/2022-State Tax (Rate)

F. No. 3 (38)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/231.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification No.2/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

(i) against S. No. 102, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake [other than rice bran]";

(ii) after S. No. 102B and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"102C	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 07/2022 – State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (29)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/896, dated the 17th November, 2022.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)